न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–13 / 2022 दायर दिनांकः 13.1.2022

GCMS NO:- 2022/22 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

धापू बाई पत्नी स्व. लोडकिया (लोडक्या) जाति बलाई नि. वार्ड नम्बर 12, शेखा मोहल्ला, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया–

बनाम

भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीया की ओर से वकील श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय प0म0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ मे खसरा संख्या 2099, 2100, 2101, 2102, 2103 कुल किता 5 कुल रकबा 2.2006 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियां प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री कमला बाई के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियां है। जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के मुताबिक प्रार्थीया संयुक्त रूप से काबिज चली आ रही है। जमाबन्दी मे दर्ज प्रार्थीया की लडकी कमला बाई पुत्री लोडक्या का नाम संहवन एवं भूलवश शांती पुत्री लोडक्या अंकित कर रखा है जबकि प्रार्थीया के एक मात्र पुत्री है जिसका नाम समस्त सरकारी दस्तावेज यथा पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र इत्यादि मे कमला बाई दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया के एकमात्र पुत्री है जिसका नाम कमला बाई है। कमला बाई का देहावसान दिनांक 24.10.2008 को हो गया है। प्रार्थीया की पुत्री कमला बाई का नाम नामान्तरकरण खोलते समय संहवन से शांति दर्ज कर देने से प्रार्थीया को काफि परेशानी हो रही है। प्रार्थीया के कमला बाई के अलावा दुसरी पुत्री कभी भी पैदा नही हुई है और ना ही कमला बाई के अलावा दूसरी पुत्री है। कमला बाई की पुत्री का नाम श्यामलाल है जो महात्मा गांधी, लोको कॉलोनी कोटा के है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया की पुत्री शांति पुत्री लोडक्या के स्थान पर कमला बाई पुत्री लोडक्या दर्ज करावे तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेखों मे दर्ज करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 17.12.2024 से प्राप्त हो चुकी है जिसमे अंकित है कि मृतक लोडक्या पुत्र देवा के कोई पुत्र पैदा नही होना ग्रामवासियान द्वारा बताया गया तथा बताया कि एक पुत्री कमला बाई थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके एक पत्नी जिसका नाम धापू बाई है, जीवित है। ग्राम नैनवॉ द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 940 दिनांक 25.02.2016 के अनुसार मृतक लोडक्या के पुत्र नही होना तथा एक पुत्री शांति तथा पत्नी धापू बाई होना बताया गया था जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे शांति बाई पुत्री लोडक्या जाति बलाई हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया की पुत्री कमला बाई का नाम नामान्तरकरण खोलते समय संहवन से शांति दर्ज कर देने से प्रार्थीया को काफि परेशानी हो रही है। प्रार्थीया के कमला बाई के अलावा दुसरी पुत्री कभी भी पैदा नही हुई है और ना ही कमला बाई के अलावा दूसरी पुत्री है। कमला बाई की पुत्री का नाम श्यामलाल है जो महात्मा गांधी, लोको कॉलोनी कोटा के है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया की पुत्री शांति पुत्री लोडक्या के स्थान पर कमला बाई पुत्री लोडक्या दर्ज करावे तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेखों मे दर्ज करावें।

वकील प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि प्रार्थीया के पति लोडक्या (मृतक) की मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 940 खोला गया जिसकी पुनः जांच दिनांक 24.01.2016 को होने के उपरान्त दिनांक 25.02.2016 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया हुआ है जिसमे लोडक्या (मृतक) के विधिक वारिसान की सजरा

अनुसार जांच मे कोई पुत्र ना होना, पत्नी धापुबाई तथा पुत्री शांति होना जांच मे सही पाया गया था। प्रार्थीया की पुत्री का देहावसान भी दिनांक 24.10.2008 को होना प्रार्थना पत्र मे बताया गया है तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली मे नही है जिससे कमला बाई के पिता का नाम लोडक्या अंकित हो अथवा जिससे यह साबित हो सके कि कमला बाई के पिता का नाम लोडक्या है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों मे कमला बाई के पति के नाम के ही दस्तावेज है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त ऐसा कोई ठौस प्रमाण/दस्तावेज इस आशय का नही मिलना कि कमला बाई ही शांति बाई है अथवा कमला बाई के पिता का नाम लोडक्या अंकित हो। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक :– 29.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां